

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / हिन्दि / 28129 / 2016-17

दिनांक : १.११.२०१७

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा)

विषय: हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र
आमत्रण : अन्तिम तिथि : १५.१२.२०१७.

हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर शिक्षा विभाग में राजकीय सेवामें कार्यरत समस्त वर्ग के शिक्षा अधिकारियों/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा/ अध्यापकों/ भंत्रालयिक / सहायक कर्मचारियों) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता दिए जाने वाले रास्ते रास्ता प्रारूप-पत्र में प्रार्थना पत्र आमत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न विनुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किए जायें:-

1. यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त वर्ग के कार्मिकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. व्यावसायिक शिक्षा : इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेन्ट, बी.एड, सी.ए, एस.टी.सी, नर्सिंग फार्मेसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-
 - (अ) इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम (चार वर्ष)-(आठ सेमेस्टर): डिसिप्लिन ऑफ रिविल मैकनेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली-कम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल, आर्केटेक्चर, टैक्सिटाईल, माइनिंग, रबर टैक्नोलॉजी, कैमिकल इंजीनियरिंग, इन्स्ट्रुमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल, प्रिन्टिंग, कैमिकल टैक्नोलॉजी, मैटेलर्जीकल इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडेक्शन टैक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग एण्ड फैट्रिकेशन टैक्नोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर, पैट्रोलियम इंजीनियरिंग।
 - (आ) मेडिकल(एलोपेथी), होम्योपेथी, आयुर्वेदिक फार्मस, ऑफ मेडिसन्स एवं पशु आयुर्विज्ञान।
 - (इ) उपर्युक्त पैसा(अ.आ) में उल्लेखित डिग्री(4वर्ष), डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
 - (ई) डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी-फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
 - (उ) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
 - (क) बी.एड.पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष तथा एस.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की भान्ना है।
3. प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टिया स्वयं कर्मचारी/सरपा प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।
4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलम संख्या 12 में रपष्ट रूप से अकिंत करें। प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेटप्रतियां स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पूर्ण भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मददार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा।
5. सत्र 2017-18 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करें।
6. सहायता राशि मात्र दृश्यान् पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।
7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही समित है। राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अध्ययनरत के लिए ही स्वीकार्य होगे।
8. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य होगा।

9. यह सहायता राशि वर्ष 2017-18 के लिए ही मान्य होगी। जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश लिया हो उन्हें ही सहायता दी जायेगी।
10. प्रार्थना-पत्रों के आधार पर पात्रता की जांचोपरान्त एवं हितकारी निधि कोष में राशि उपलब्ध होने पर सहायता देय होगी। प्रार्थना-पत्र प्रेपित कर दिए जाने से यह तात्पर्य नहीं है कि आपको सहायता मिल जायेगी। अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जाये।
11. राज्य कर्मसारी, हितकारी निधि का नियमित अंशदान होना चाहिए। यदि अंश दान जमा करवाया हुआ है तो भेजे जाने वाले अंशदान या डी.डी. नम्बर, दिनांक व राशि का उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जाये।
12. यदि आप हितकारी निधि के सदस्य नहीं हैं तो आज ही नियुक्ति तिथि से अंशदान एक मुश्त जमा करवाकर सदस्य बनवान् अंशदान राशि या वैक फ्राफ्ट अध्यक्ष, हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, राजस्थान, वीकानेर वे नाम से जिजबायें। नियमित अंशदान के अभाव में सहायता राशि प्रदान नहीं दी जा सकेगी।
13. सहायता राशि— एक वर्ष से दो वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु रूपये 5000/- एवं दो वर्ष से अधिक पाठ्यक्रम की अवधि के लिए रूपये 10,000/- निर्धारित है। यह सहायता राशि पाठ्यक्रम की अवधि हेतु केवल एक बारही देय होगी।
14. अपूर्ण प्रार्थना-पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देशी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में एवं निररत हुए प्रार्थना-पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जायेगी। प्रार्थना-पत्र 100 रो अधिक रसीकार्य नहीं होने के कारण किसी भी प्रार्थना-पत्र को निररत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों / कार्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित कराये ताकि अधिकारिक कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पावन्द कराये कि प्रार्थना पत्र सीधे नहीं भेजे, प्रार्थना पत्रों को आप अपनी अनुसंसा, सहित दिनांक 15-12-2017 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को के पद नाम से जिजबाने की व्यवस्था करें। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

रालग्न निर्धारित प्रार्थना-पत्र

उप निदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
वीकानेर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आपरायक कार्यवाही हेतु

1. आयुक्त सर्वशिक्षा अभियान, राजस्थान प्रांशि. परिषद, जयपुर
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर
4. सचिव, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
6. उपनिदेशक, समस्त प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, वीकानेर / अजमेर
8. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, वीकानेर / संम्पादक शिविरा पत्रिका


उपनिदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
वीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड़

क्रमांक-प्रिशिअ/गा/झा/सामा-ग/2017/736

दिनांक 1.11.2017

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्यक को मूल ही पत्र भेजकर लेख है कि पत्रानुसार कार्यवाही कर निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर अविज्ञप्त इस कार्यालय को जिजबाये।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड़

हितकारी निधि कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी / व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) / शिक्षक / मंत्रालयिक / सहायक कर्मचारी एवं रामस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र

1. कर्मचारी का नाम.....	जन्मतिथि.....	आयु.....
2. पद एवं पदस्थापन रथान.....		
3. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि.....		
4. कर्मचारी का स्थायी पता..... टेलीफोन नम्बर / मोबाइल नम्बर.....		
5. कार्मिक का बैंक खाता विवरण : 1 बैंक का नाम एवं शाखा का नाम..... 2 आई.एफ.सी.कोड नम्बर..... 3. कार्मिक का बैंक खाता संख्या(पासबुक की प्रति).....		
6. अध्ययनरत छात्र / छात्रा का नाम.....	जन्मतिथि.....	आयु.....
7. छात्र / छात्रा से सम्बन्ध.....		
8. छात्र / छात्रा के व्यावसायिक शिक्षा का नाम (✓करें) मेडिकल / इंजीनियरिंग / मैनेजमेन्ट / बी.एड / एस टी.सी. / नर्सिंग / सी.ए.).....		
9. पाठ्यक्रम की अवधि.....		
10. महाविद्यालय में प्रवेश तिथि(प्रथम वर्ष).....		
11. महाविद्यालय / विद्यालय का नाम एवं पता जहां छात्र / छात्रा अध्ययनरत है..... (✓करें)(संस्था राजकीय / अराजकीय / निजी / मान्यता प्राप्त)		
12. व्यावसायिक विषय के लिए मुगतान की गई राशि की मूल रसीदें संलग्न करें :- संलग्न कुल रसीद संख्या..... राशि.....		
13. संस्था से कोई छात्रवृत्ति ली जा रही है अथवा नहीं यदि हां तो कितनी.....		
14. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से यदि कोई सहायता राशि मिली है अथवा नहीं यदि हा तो कितनी.....		
15. छात्र / छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है : (हा / नहीं)		
16. हितकारी निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार कटौती विवरण) संलग्न पृष्ठ.....		
17. बकाया अंशदान भिजवाने का ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....		

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण विल्कुल सही है! इन बिन्दुओं मे कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर
(पद एवं कार्यरत रथान)

**संस्था प्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण—पत्र जहां कर्मचारी कार्यरत है
(संस्था प्रधान अराजपत्रित होने पर आहरण विवरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती.....
पद एवं पदस्थापन स्थान.....
जो मेरे अधीन कार्यरत है। इनके पुत्र/ पुत्री..... जो(महाविद्यालय/ विद्यालय
का नाम.....
मैं अध्ययनरत है एवं मेडिकल/ इंजीनियरिंग/ मैनेजमेन्ट/ बीएड/ एस.टी.सी./ सी.ए/ नर्सिंग सत्र.....
मैं प्रवेश लिया है को सहायता हेतु इनका प्रार्थना—पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
को अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर मय सील

(मोहर)

महाविद्यालय/ विद्यालय का नाम.....

अध्ययनरत महाविद्यालय/ विद्यालय का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री.....
पुत्र/ पुत्री/ श्रीमती..... जो
(महाविद्यालय का नाम).....
मैं अध्ययनरत है। इनके पुत्र/ पुत्री इस महाविद्यालय का नियमित छात्र/ छात्रा है।

महाविद्यालय/ विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम का नाम (समेस्टर सहित)	पाठ्यक्रम की अवधि (समेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत है	उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण	विशेष विवरण

राजस्थान प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर